

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ-46(1)लेखा / स.ठेका / 2010 / 1238

दिनांक : 01 / 06 / 2010

1. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / रा.चि. डीडवाना (नागौर)
3. वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रभारी राजकीय रुकमणी देवी जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर / सेठी कॉलोनी, जयपुर / हिरण्यमगरी (उदयपुर), मण्डोर (जोधपुर), चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर / शाहपुरा (भीलवाड़ा) / बीकानेर / अजमेर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, वाई. एन. हॉस्पिटल, किशनगढ़ (अजमेर)।
5. राजकीय चिकित्सालय, सोजत (पाली), नसीराबाद (अजमेर), नाथद्वारा (राजसमन्द), माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा), परबतसर (नागौर), फलौदी (जोधपुर), पावटा (जोधपुर), चौपासनी (जोधपुर), बरुंदा (जोधपुर), बालोतरा (बाड़मेर), भादरा, झालरापाटन (झालावाड़), सुनेल (झालावाड़), बंगड (झुन्झुनू), मलसीसर (झुन्झुनू), नवलगढ़ (झुन्झुनू), चिड़ावा (झुन्झुनू), खेतड़ी (झुन्झुनू), माण्डल (नागौर), कुचामनसिटी (नागौर), टाटगढ़ (अजमेर), सरवाड़ (अजमेर), विजयनगर (अजमेर), केकड़ी (अजमेर), बड़ौंद (अलवर), लाडनूं (नागौर), सांभर (जयपुर), चौमू (जयपुर), शाहपुरा (जयपुर), रींगस (सीकर), तारानगर (चुरू), सुजानगढ़ (चुरू), सरदार शहर (चुरू), सराड़ा (भीलवाड़ा), बगड़ी नगर (पाली), तख्तगढ़ (पाली), सुमेरपुर (पाली), लोसल (सीकर), खण्डेला (सीकर), टोडारायसिंह (टोंक), निवाई (टोंक), देवली (टोंक), छबड़ा (बांरा) एवं राजकीय चिकित्सालय, नसीराबाद (अजमेर), सागवाड़ा (झूंगरपुर)
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, लेपरोसी हॉस्पिटल, जयपुर / जोधपुर।
7. योग चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय यौगिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बापूनगर, जयपुर।
8. जिला क्षय रोग अधिकारी, क्षय निवारण केन्द्र, अलवर, श्रीगंगानगर, टोंक, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, रत्नगढ़, झूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जालौर, झुन्झुनू, कोटा, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही

विषय :- खाद्य सामग्री ठेका अवधि 21/07/2010 से 31/03/2011 के लिए निविदा कार्यवाही हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खाद्य सामग्री ठेका वर्ष 2010-11 अवधि 21/07/2010 से 31/03/2011 तक के लिए निविदा सूचना का प्रकाशन करने हेतु निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर) को पत्रांक एफ-46(1)लेखा / खा.ठेका / नि.ग. / 2010 / 1237 दिनांक 01/06/2010 द्वारा निवेदन किया जा चुका है। निविदा सूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ सलंगन कर आपको भिजवाते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने स्तर से ज्यादा से ज्यादा स्थानीय प्रचार हेतु समस्त क्षेत्रीय एवं संभागीय मुख्यालयों, जैसी भी स्थिति हो के नोटिस बोर्ड पर भी चर्चा करावें तथा जनता की सुविधा के लिए निविदा सूचना की प्रतियां करवाकर सूचनार्थ प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर ठेका अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 09/07/2010 दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जाकर निविदा खोलने का समय उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निश्चित किया गया है।

प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सालयों के लिए निविदा फॉर्म का शुल्क 100/- रुपये प्रति फार्म तथा अन्य चिकित्सालय के लिए निविदा कार्य का शुल्क 75/- रुपये रखा गया है। निर्धारित निविदा प्रपत्र की दो-दो प्रतियां इस पत्र के साथ प्रेषित हैं कृपया आवश्यकतानुसार और प्रतियां अपने स्तर पर तैयार

करावे तथा निविदा फॉर्म वर्ष 2010–11 तिथियों में संशोधन एवं निर्धारित कॉलम संख्या में सामग्री की अनुमानत मात्रा आवश्यकता के आधार पर लिखें।

खाद्य सामग्री ठेका अनुमोदन के संशाधित वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट—III के पार्ट II के नियम 16 मैटेरियल एण्ड सप्लाईज के आईटम (एफ) के अन्तर्गत अंतरंग रोगियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष को निर्धारित नाम्स के अनुसार खाद्य सामग्री क्रय के पूर्ण अधिकार प्रदत्त किये हुए हैं। अतः नियमानुसार ठेका शर्त तथा अनुदेशों के अन्तर्गत तुरन्त खाद्य ठेके की स्वीकृति अपने स्तर से जारी करें। तथा संबंधित ठेकेदार से अनुमोदित खाद्य सामग्री की दरों के लिए अनुबन्ध कर उसकी एक—एक प्रति तथा स्वीकृति की एक प्रति निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित करने का श्रम करें।

उपरोक्त के अलावा आपको यह भी सूचित किया जाता है कि भाग 'ग' (शाक तरकारी) में कृपया प्रत्येक शाक तरकारी सब्जी के दरे मौसम के अनुसार अलग—अलग प्राप्त करें। अतः इकजाई सब्जी की दरें अनुमोदित नहीं करे तथा कागज की रद्दी, देशी रुई, गुलाब जल, सूतली, नील, स्टॉर्च तथा बांस की टोकरियों के लिए निविदायें आमंत्रित नहीं की जावे, क्योंकि इन आईटमों हेतु ठेका स्वीकृति की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती।

Sd/-
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय

निविदा प्रारूप

1. चिकित्सालय के प्रयोग/उपयोग हेतु :— खाद्य सामग्री सप्लाई वर्ष 2010–11 हेतु
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम : _____
व डाक का पता/टेलीफोन/मोबाइल नं. _____

3. कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी जिसको : _____
निविदा संबोधित है
4. संदर्भ : _____
5. सामग्री/सेवा का विवरण : सलंगन परिशिष्ठ 'ग' के अनुसार

(राशि रु.)

क्र.सं.	सामग्री का नाम व विवरण	मेक	दर प्र.किमी/प्रति लीटर/प्रतिदर्जन	टैक्स	कुल मूल्य

6. आर.एस.टी./सी.एस.टी. नं. (जो लागू हो): _____
7. कार्यानुभव का प्रमाण—पत्र संलग्न करे : _____
8. अमानत राशि रूपये _____ का डी.डी./बैकर्स चैक/रसीद नं. _____
दिनांक _____ सलंगन है।
9. निविदा प्रपत्र की फीस राशि रूपये _____ नकद रसीद सं. _____ एवं
दिनांक _____/रेखांकित पोस्टल आर्डर रूपये _____ दिनांक
_____ द्वारा जमा कराई गई।
10. प्रस्तुत निविदा के साथ सैम्प्ल सलंगन है : हाँ / नहीं
11. ऊपर उद्धत की गयी दरे तीन माह तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के
आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।
12. बिक्री कर पंजीयन एवं गत वर्ष तक का बिक्री कर चूकती प्रमाण—पत्र सलंगन है।
13. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र सलंगन है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम :

पूर्ण डाक पता :

टेलिफोन नं. :

मोबाइल नं. :

फैक्स नं. :

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिए नियम 68)

1. (क) निविदादाता को निविदा के साथ संलग्न शर्तें/सलंगनक/दस्तावेजों/परिषिष्ठों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। हस्ताक्षरों के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(ख) निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2. “वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँ” : निविदाएँ सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे। प्रारूप SR 11 इसके साथ सलंगन है।

3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण—पत्र : कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

5. आयकर चूकती प्रमाण—पत्र : निविदादाताओं को सम्बन्धित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण—पत्र निविदाओं के साथ प्रस्तुत करना स्वैच्छिक होगा। जिसके बिना निविदाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. निविदा प्रारूप स्थाही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक् से दिखाना चाहिए।

8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़े (कॉर्टज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाली सामग्री कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण—पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

9. (i) दरों की तुलना : राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

10. **मूल्य अधिमान :** (मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्साहित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1955 के अनुसार दिया जाएगा।)

11. **विधिमान्यता :** निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।

12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारबान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

14. **विनिर्देश :-** (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) तारा चिह्न (#) से अंकित/क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति को इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) **वारंटी/गारंटी खण्ड :** निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया था वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

15. **निरीक्षण :** (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

16. **नमूने :-** अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक् रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

17. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका यह अनुसूचित में नमूना है, आदि लिखे जाएँगे।

18. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

21. **नमूने निकालना :** परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

22. **परीक्षण प्रभार :** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

23. **रद्द करना :** (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

24. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम या उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

25. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गत्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दग्गी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

26. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

27. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

28. (i) **सुपुर्दगी अवधि :** निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :—

(ii) **मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :** यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगी। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50% तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होंगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

29. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :** (क) निविदा के साथ रु. (संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार अनुमानित निविदा राशि का 2 प्रतिशत मानते हुए विनिश्चय किया जायेगा) की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि संबंधित कार्यालयध्यक्ष के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :—

(i) नकद शीर्ष "8443-सिविल निक्षेप – 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय : असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

((ग) बयाना राशि से आंशिक छूट : उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन-प्रमाण-पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, (विलोपित) निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।)

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ.) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

30. **बयाना राशि का सम्पहरण :** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में सम्पहरत कर लिया जाएगा:

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निष्केप : (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप SR-17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :—

(क) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकायाएं (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

[(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण—पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटोस्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निष्केप का भुगतान करेगी।]

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) प्रतिभूति निष्केप का सम्पर्क : प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पर्क किया जा सकेगा :—

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निष्केप को सम्पर्क करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. (R..R) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभाव (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

33. **बीमा :-** (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

34. **भुगतान :-** (i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण—पत्र पर दिये जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 20 से 50 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

35. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानी :-** परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :—

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2½%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई 7½%

से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

36. **वसूलियाँ :-** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मामलों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निष्केप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

37. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

38. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्रवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र।

41. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप—अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप—अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

42. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

43. टेण्डर देने वाले को सावधानी से पढ़ना चाहिये और अपने टेण्डर भेजते समय इसका पूर्णतया पालन करना चाहिये। यदि किसी टेण्डर देने वाले को टेण्डर सूचना में वर्णित किसी भी शर्त या विस्तृत विवरण (नमूने की व्याख्या) के विषय में कोई सन्देह है तो उसे टेण्डर प्रस्तुत करने से पहले इसके बारे में संबंधित भण्डार क्रय अधिकारियों (प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सालय संघ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इत्यादि से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए) संदेह की हाल में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा किसी भी शर्त की व्याख्या व विशेष विवरण के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम होगा और टेण्डर देने वाले को मान्य होगा।

(क) जैसा कि टेण्डर सूचना में दिया गया है टेण्डर, निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र में ही भेजना चाहिए।

(ख) टेप्डर एक मजबूत लिफाफे में सावधानी से बंद करके, स्पष्ट युक्ति से मोहर लगाकर, तथा उस पर प्रमुख रूप से "भोजन सामग्री देने के लिए टेप्डर" अंकित करके भेजा जावे। जब उसे डाक पता भेजना हो तो इसे एक और अन्य मजबूत लिफाफे में बन्द करना चाहिये। बाहर के लिफाफे पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता का पता लिख दिया जाना चाहिए और अंदर की वस्तुओं के विषय में उस पर किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं होना चाहिये।

(ग) टेप्डर देने वाले की दरे स्याही में उचित स्तंभ (एपरोप्रियेट कॉलम) में शब्दों और केवल अन्तर्राष्ट्रीय या हिन्दी अंको दोनों में ही भरनी चाहिए। टेप्डर देने वाला टेप्डर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर पूरे हस्ताक्षर करेगा। शब्दों को मिटाने, परिवर्तन करने, सुधारने, या शब्द पर शब्द लिखने की स्थिति में प्रत्येक पर टेप्डर देने वाले के पूरे हस्ताक्षर होंगे। निश्चित प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र पर दी हुई दरें स्वीकार नहीं की जावेगी। अंगुठे लगे हुए टेप्डर केवल उसी दशा में स्वीकृत होंगे जबकि अंगुठे का निशान राजपत्रित अधिकारी अथवा नगरपालिका कोन्सलर या विधान सभा के सदस्य द्वारा उसकी अधिकृत मोहर के अधीन अभि-प्रमाणित किया गया हो।

(घ) टेप्डर में दी हुई दरे चिकित्सालयों के गोदाम तक सामान निःशुल्क पहुंचाने के लिये होगी; और उसमें सभी प्रकार के कर चूंगी-भाड़ा व यातायात व्यय सम्मिलित होंगे। दरे टेप्डर प्रपत्र में दिये हुए ढंग से लिखी जावेगी। और यह प्रत्येक भाग के सभी मदों के लिये तथा स्थान विशेष के चिकित्सालय से संबंध (ऐसोसियेटेड ग्रुप) के सभी संस्थानों के लिये होगी।

44. टेप्डरों के साथ टेप्डर प्रपत्र में तारांकित वस्तुओं के नमूने मोहर बंद बोतलों में प्रस्तुत किये जावेगे अन्यथा टेप्डर अस्वीकार कर दिये जावेंगे।

45. टेप्डर देने वाला प्रथम व द्वितीय श्रेणी के चिकित्सालयों के दशा में भाग क, ख, ग एवं घ टेप्डर के साथ अपने सरकिल के वाणिज्य कर अधिकारी से कर का नवीनतम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे अन्यथा टेप्डर अस्वीकार कर दिया जावेगा।

46. टेप्डर देने वाला स्वीकृति की सूचना जारी होने पर पूरे टेप्डर या उसके किसी भाग के संबंध में जो स्वीकार किया गया है, ठेकेदार हो जायेगा और एक इकरारनामा लिखेगा तथा स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर या ठेके की सप्लाई चालू होने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो निम्नलिखित भागों के अनुसार प्रतिभूति निष्केप प्रस्तुत करेगा।

भाग — 'क'

भाग — 'ख'

भाग — 'ग'

भाग — 'घ'

(क) टेप्डर के भाग 'क' से 'घ' में दर्शायी गई वस्तुयें अलग-अलग ठेकेदारों के नाम विभिन्न कारणों से स्वीकृत की जा सकती है। यदि किसी ठेकेदार के प्रति भाग 'क' से 'घ' पूर्णतया स्वीकृत न होकर उसका कोई एक हिस्सा स्वीकृत होता है तो प्रतिभूति उसे पूरे भाग के अनुपात में ली जावेगी। संबंधित भाग की वस्तुओं को गत तीन वर्ष में औसत खपत ही उसका आधार माना जायेगा।

(ख) वह व्यक्ति जिसका टेप्डर स्वीकृत हुआ है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 68 एस.आर. प्ररूप 17 में उचित मूल्य के स्टाम्प पत्र पर प्रतिबन्धित समय के भीतर इकरारनामा लिखेगा और उस पर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर, की ओर से सक्षम अधिकारी द्वारा ठेके की स्वीकृति की जाने की दशा में हस्ताक्षर किये जावे। ठेकेदार की प्रार्थना पर इकरानामे में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इकरारनामा चार प्रतियों में लिखा जावेगा जिसकी एक प्रति ठेकेदार के पास रहेगी, मूल प्रति सक्षम अधिकारी कार्यालय में एवं एक प्रति महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रहेगी। मूल इकरारनामे के अलावा शेष तीन प्रतियां पाई पेपर पर टंकण होगी। मूल इकरारनामा 500/- (पाँच सौ रुपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखना होगा।

(ग) ठेके की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात टेप्डर देने वाले द्वारा दिये गये भोजन सामग्री के नमूनों का जिनकी दरें अनुदानित हो चुकी हैं। विश्लेषण संबंधित विश्लेषक द्वारा कराया जावेगा जिससे कि ठेकेदार द्वारा की जाने वाली सामग्री की किस्म व स्तर का पता लग सके। अनुमोदित नमूने के विश्लेषण का परिणाम दरों का परिशिष्ट में संबंधित वस्तुओं के आगे लिखा जावेगाजो इकरारनामे के साथ सलंगन की जावेगी।

47. यदि वह व्यक्ति जिसका टेण्डर स्वीकृत हुआ है निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है या ठेका स्वीकार नहीं करता हैं या इकरारनामा नहीं लिखता है, सरकार टेण्डर देने वाले व्यक्ति द्वारा किये गये उक्त कारण भंग के विषय में अपने किसी अधिकारी का उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव अग्रिम राशि जब्त कर लेगा ऐसे प्रकरणों में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और टेण्डर देने वाले को मान्य होगा।

48. जब एक बार सरकार और ठेकेदार के बीच ठेका तय हो जावे तो ठेकेदार का ठेका 31/03/2011 तक ठेका चालू रखना पड़ेगा (इसमें 31/03/2011 की तारीख शामिल है) जिसे समान दरों पर 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा तथा इससे आगे की अवधि आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी तथा निविदा में दी गई दरे सम्पर्ण अवधि तक लागू रहेगी चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थितियां उत्पन्न की जाय यदि किसी वस्तु पर नियंत्रण हो जाय और उसके लिए सरकार से अनुमति पत्र (परमिट) की आवश्यकता हो विभाग अनुमति पत्र की प्राप्ति में ठेकेदार की सहायता करने का प्रयत्न करेगा बशर्ते की ऐसी सहायता सामग्री न देने की दशा में ठेके की शर्तों को पूरा करवाने के सरकार के अधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न डाले, किन्तु सामग्री जुटाने व देने का सारा उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। इस निमित ठेकेदार द्वारा गये किसी भी अतिरिक्त व्यय की हानि पूर्ति नहीं की जावेगी, उस दशा में भुगतान नियंत्रित दरों के अनुसार किया जावेगा चाहे टेण्डर की दरे कुछ भी हो।

49. भोजन सामग्री जिसके लिये ठेका दिया गया है एगमार्का की होगी, यदि वे श्रेणी बद्ध (ग्रेडेड) हैं और सबसे अच्छे प्रकार की होगी, तरकारियां मनुष्यों के खाने योग्य व सभी प्रकार की बीमारियां व गंदगी से मुक्त होगी। भाग 'क', 'ख' एवं 'घ' की वस्तुओं का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जावेगा किसी प्रकार की कोई मिलावट स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि विश्लेषणात्मक परीक्षण में अन्य किसी प्रकार से कोई मिलावट पाई जावे तो सप्लाई की वस्तुओं के स्थान पर दूसरा वस्तुयें सप्लाई की जावेगी और ठेकेदार के विरुद्ध टेण्डर की शर्त भंग करने के विषय में उचित कार्यवाही की जावेगी, यदि भोजन सामग्री जिसका नमूना लिया जाकर विश्लेषणों के लिये भेज दिया गया है, विश्लेषणात्मक परीक्षण की इस बात की रिपोर्ट, की उसमें मिलावट है या वह निम्न स्तर की है, प्राप्त होने से पहले काम में ले ली जाती है तो इस प्रकार काम में ली हुई सामग्री के लिये ठेकेदार किसी भी प्रकार का भुगतान करने का अधिकारी नहीं होगा। और भाग 'घ' की वस्तुओं के लिए खण्ड नियमानुसार कटौतियां की जावेगी।

50. ठेकेदार को चिकित्सालय के अहाते में कोई दुहरे तालों वाला कमरा यदि उपलब्ध हो तो भण्डार के लिए दिया जावेगा उसके लिये स्थानीय अभियन्ता (भवन व पथ) के परमार्श से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित किराया देगा। ठेकेदार अपने भंडार में कम से कम एक सप्ताह की सामग्री एडवान्स रखेगा और वह इस प्रकार की इकट्ठी की हुई समस्त सामग्री में प्रत्येक प्रकार की खराबी व छीजत के लिए उत्तरदायी होगा।

51. भोजन सामग्री जो सप्लाई की जावे उसका स्तर अच्छा हो उसको सुनिश्चित करने हेतु दूध के अतिरिक्त अन्य भोजन सामग्री का नमूना विश्लेषण के लिए सप्लाई में से सप्ताह में कम से कम एक बार या उतनी बार जिसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता उचित समझे चिकित्सालय भंडारों में ठेकेदार द्वारा संग्रहित सामग्री में से निम्नलिखित धारा 11(अ में दी गई) की मात्रानुसार प्रत्येक का ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थित में लिया जावेगा। बोतले उस समय विधिपूर्वक मुहर बंद कर दी जावेगी। और दोनों ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी रसोई घर या अन्य कोई अधिकारी (जो मेट्रन से निम्न स्तर का न हो) जिसे यह कार्य सौंपा गया हो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उपरोक्त तीनों बोतलों में से एक संबंधित प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए भेजी जावेगी। यदि जन प्रयोगशाला दूसरी जगह पर हो तो ऐसी स्थिति में दूध के नमूने परीक्षण हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य भिजवाये जाने चाहिये, जैसे ब्यावर में लिये जाने वाले नमूने को सप्ताह में एक बार अजमेर अवश्य भिजवाया जावे। दूसरी बोतल निम्न हस्ताक्षरकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास अक्षय अभिन्न (सेफ कस्टडी) में रहेगी एवं तीसरी बोतल ठेकेदार को दी जावेगी। दूध का नमूना विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए दिन में दोनों समस सप्लाई किये जाने वाले दूध में से या यथा संभव कई बार ऊपरलिखित विधि से लिया जावेगा। जहां पर दूध की दैनिक आवश्यकता 10 किलो से कम होगी वहां पर दूध का नमूना विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु सप्लाई में से एक बार अचानक लिया जावेगा। दूध के नमूने की बोतल को मुहर बंद करने से पहले ऑंस बूंद प्रति ऑंस के हिसाब से एकिटव फोरमलीन (पानी के घोल में 40 प्रतिशत फार्मल डी व्हाईट) मिला दिया जावेगा। ठेकेदार को उसके द्वारा विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने के एक पक्ष के भीतर उसको दी गई बोतले लौटा देगा। नहीं तो उसकी

पूरी कीमत वसूल कर ली जावेगी। जन प्रयोगशाला या चिकित्सालय प्रयोगशाला जहां नमूने का परीक्षण किया गया है का निर्णय मान्य होगा और प्रत्येक दशा में उसकी सूचना ठेकेदार के पास उक्त निर्णय के एक सप्ताह के अन्तर्गत भेजा जाना चाहिए। यदि ऊपर लिखे हुए परीक्षण के निर्णय से ठेकेदार संतुष्ट न हो तो वह उसको सप्लाई किये गये नमूने की जांच कराने हेतु निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्णय बतलाये जाने के दस दिन के अन्दर अपने खर्च से चीफ पब्लिक एनेलिस्ट के अलावा किसी भी अन्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में कराये जाने बाबत आवेदन दे सकता है। आज्ञा प्राप्त होने पर 15 दिन के अन्दर वह अपने सेम्प्ल की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। ठेकेदार की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह उसके सेम्प्ल की स्वयं के खर्चे पर सुरक्षा रखे ताकि यह आवश्यकता पड़ने पर जांच योग्य रहे। यदि निर्णय में कोई अन्तर हो तो वह अपनी इच्छानुसार निम्न हस्ताक्षरकर्ता दूसरी बोतल को सरकारी खर्च पर चीफ पब्लिक एनेलिस्ट का निर्णय अंतिम होगा। और उसके अनुसार कटौतिया की जावेगी। ठेकेदार के भण्डार के नमूने के लिए ली गई औसत वस्तुओं का मूल्य ठेकेदार को दे दिया जावेगा बशर्ते कि खाद्य सामग्री में कोई मिलावट या खराबी नहीं पाई गई हो।

नमूने की मात्रा जो विश्लेषण हेतु ली जावेगी निम्नांकित अनुसार होनी चाहिये:-

1. दूध	-	200 एम.एल. (दो सौ मिली लीटर)
2. मसाला आदि	-	150 ग्राम
3. तेल व चिकनाईयां	-	125 ग्राम
4. आटा दाल आदि	-	200 ग्राम
5. मनुष्यों के खाने योग्य	-	200 ग्राम

उसी तरह की अन्य वस्तुयें

नमूनों को बंद करना सील करना एवं लेबिल लगाने का ढंग निम्नांकित अनुसार होगा :-

लेबल का नमूना जो ऊपर बोतल के चिपकाया जावे :-

1. नमूने का क्रमांक
2. चिकित्सालय का नाम
3. नमूने का प्रकार
4. प्राप्त करने की दिनांक समय

हस्ताक्षर

अ. रसोई घर के इच्छार्ज के

ब. ठेकेदार या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति के समस्त नमूने खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु भेजने के पूर्व निम्नांकित अनुसार :-

1. बोतल ठीक प्रकार डोट से इस प्रकार बन्द की जावे जिससे कि उसका रास्ते में टूटना या खुलने का डर न हो और खाद्य सामग्री बाहर न निकल सके।
 2. बोतल जार या अन्य बर्तन को मोटे मजबूत कागज में ठीक प्रकार से चारों तरफ से लपेट दिया जावे और दोनों छोरों को मोड़कर गोंद या अन्य वस्तु से चिपका दिया जावे।
 3. कागज की खोली के पश्चात बोतल को चारों तरफ से मजबूत सूतली से व धागे से लपेट कर उसको ठीक प्रकार से कम से कम चारों स्थानों चपड़ी द्वारा पीतल की मोहर द्वारा सील करना चाहिये इसमें से एक सील मुँह की ओर दूसरी पेन्दें की ओर तीसरी जहां पर सूतली व धागे की गांठ लगाई जाती है एवं चौथी बीच में लगाई जानी चाहिये। पीतल की सील स्थानीय अधिकारी (चिकित्सालय प्रमुख) की व्यक्तिगत ताली में रहेगी।
52. ठेकेदार की निश्चित स्थान व निश्चित समय पर इंडेट के अनुसार सामग्री देने का प्रबंध करना पड़ेगा। यदि ठेकेदार सामग्री नहीं देता है, लापरवाही करता है, इंकार करता है या अन्यथा रूप से ठेके की Desktop/HOSHIYAR SINGH/Diet Tender

शर्तों के अनुसार मांग को पूरा नहीं करता है। तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस ठेके के इकरार को पूरा न किये जाने के कारण हुई हानि और असुविधा के विषय में सरकार द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की मांग के लिये अन्य उपचार किये जाने पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले ठेकेदार के व्यय पर सामग्री क्रय करने व संग्रहित या प्रबंध करने में स्वतंत्र होगा। इस प्रकार सामग्री खरीदने संग्रहित करने या प्रबन्ध करने में किये गये व्यय और सभी अनुषंगित व्यय को शामिल लेते हुए ठेके के मूल्य से किया गया अधिक खर्च ठेकेदार से वसूल किया जावेगा तथापि सप्लाई के लिये इंडेट, टेण्डर में दिखाई गई अनुमानित आवश्यकता से पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

53. दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री की शुद्धता, संशोधित पी.एफ.ए. एकट व रूल्स 1955 (प्रीवेन्सन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एण्ड रूल 1955) में वर्णित स्तर के अनुसार होगी। सप्लाई किये गये खाद्य सामग्री व पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट पाई गई या दूध, (डेटेरियोट) पाया गया तो सप्लाई की गई खाद्य सामग्री अथवा दूध का पूरा मूल्य जब्त कर लिया जावेगा। बशर्ते कि डेटेरियोट दूध की वैद्यता की स्थानीय अधिकारी (चिकित्सालय प्रमुख) द्वारा पूर्ण रूप से जांच कर ली गई हैं।

54. टेण्डर देने वाले द्वारा दी गई दरें 31/03/2011 तक (इसमें 31/03/2011) का दिन भी शामिल है। वैद्य रहेगा नया ठेका वर्ष 01/04/2011 से प्रारम्भ होगा किन्तु यदि नये वर्ष के ठेके प्रारम्भ होने से किसी प्रकार से देर हो जाय तो टेण्डर देने वाला 01/04/2011 के आगे भी उतनी अवधि तक जब तक कि आगामी वर्ष का ठेका प्रारम्भ न हो जाय अथवा 31/03/2011 के पश्चात् तीन माह तक जो भी पहले हो, वर्ष 2010–11 की अनुमोदित दरों पर भोजन सामग्री देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि कोई इन्कार करता है तो उसका यह कार्य शर्त तोड़ना समझा जायेगा और निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को ठेकेदार के व्यय पर सामग्री क्रय करने या संग्रहित करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस प्रकार सामग्री क्रय करने या संग्रहित करने के कारण ठेके के मूल्य से किया गया अधिक व्यय (जिसमें सभी अनुसांगिक व्यय सम्मिलित है) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकार के उल्लंघन करने पर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि पूरी या उसका हिस्से जब्त कर लें। उसका नाम ठेकेदारों की सूची से काट दें।

55. ठेका स्वीकार करने वाला अधिकारी निम्नलिखित सुरतों में लिखित सूचना देकर ठेका मंसूख कर देगा।

(क) यदि ठेकेदार या उसकी प्रतिनिधि या नौकर वक्त ठेके को सरकार के साथ हुये किसी अन्य ठेके में धोखा देना या दोयी पाया जाना।

(ख) यदि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त अपराधी के संबंध में सरकार की सेवामें नियुक्त किसी अधिकारी या व्यक्ति को आर्थिक या अन्य रूप से घुस या पारितोषिक भेंट या ऋण परिलोभन या लाभ देता है, या देने का आश्वासन देता है।

(ग) यदि ठेकेदार किसी भाग या आवश्यकताओं को पूरा करने से इन्कार करता है, लापरवाही करता है या देरी करता है या अन्य किसी प्रकार से ठेके की शर्तों का पालन या अनुपालन करने में असफल रहता है। उक्त रूपेण मंसूख कि ये जाने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप जब्त हो जावेगी। और वह पूर्ण रूपेण सरकार द्वारा की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही या उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधिकार में होगा इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर बिना प्रतिभूति प्रभाव डाले निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली मंजूरशुदा वस्तुएं ठेके की शेष अवधि के लिये जिसके लिए ठेका मंजुर हुआ था, किसी अन्य तरीके से, किसी भी अन्य स्थान से प्राप्त करने में जो अतिरिक्त व्यय होगा, उसे ठेकेदार के विभाग में विचाराधीन बिलों से वसूल करे या ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि से वसूल करे या सरकारी मतालवा वसूली अधिनियम (पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट) के अन्तर्गत वसूल करे।

56. ठेके अन्तर्गत किसी भी सामग्री के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

57. टेण्डर प्रपत्र के स्तम्भ (कालम) सं. 3 में दी गई मात्रा केवल सामान्य जानकारी के लिए है और यदि इन मात्राओं से कम या अधिक सामग्री मांगी जावे तो उसके लिए किसी प्रकार के दावे व क्षतिपूर्ति की मांग न तो की जावेगी और न उस पर विचार किया जावेगा।

58. किसी भी टेण्डर देने वाले को उस समय तक मान लेने का अधिकार नहीं है कि उसका टेण्डर स्वीकृत कर लिया गया है जब तक कि सफल टेण्डर देने वाले को सूचना नहीं दी जाती है। इस चेतावनी के Desktop/HOSHIYAR SINGH/Diet Tender

बावजूद भी या कोई टेण्डर देने वाला स्वीकृति की प्रत्याक्षी में कोई प्रबन्ध या व्यय करता हैं तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिये कोई दावा नहीं कर सकता।

59. (क) स्वीकृति प्रदानकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी टेण्डर को या उसके भाग को अस्वीकार कर दें तथा ठेके की स्वीकृति प्रदानकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जनहित में किसी भी शर्त को जो भी वह उचित समझें शिथिल (रिलक्स) कर कर सकता है। प्रत्येक भाग के निम्नतम सम्पूर्ण मूल्य के आधार पर दरे अनुमोदित की जायेगी। तथापि भाग 'क' से 'घ' के लिये स्वीकृति प्रदानकर्ता अधिकारी को सम्पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्रत्येक वस्तुओं को निम्नतम दरों के आधार पर ठेके स्वीकार करें।

(ख) स्वीकृति प्रदानकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा वह भोजन सामग्री के टेण्डर की किसी वस्तु को उसकी दरे आमंत्रित करने के पश्चात् किन्तु अन्तिम स्वीकृति जारी करने से पूर्व काट दे।

(ग) टेण्डर की किसी शर्त को भंग किये जाने पर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोषों को देखते हुए निम्नलिखित पूर्णतः या उसमें से कोई भी दण्ड देने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

1. ठेका निरस्त करना।
2. सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को जब्त करना।
3. सरकार द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही या उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रत्येक अवसर पर 250/- रुपये (दौ सौ पचास) तक अर्थदण्ड देना।

इस विषय में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

60. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा एवं न्यूनतम दर। बोली निविदा या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत करने को बाध्य नहीं होगा।

61. रेटस् पूरे कोन्ट्रैक्ट के लिए फर्म रहेगी, लेकिन यदि कोई कोन्ट्रैक्ट होल्डर किसी आईटम जो अनुमोदित दर पर हैं, किसी अन्य कस्टमर को कम दर पर देता है तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उस आईटम को ऐसी कम दर पर पाने का अधिकारी होगा। यह कम दर उस तारीख से लागू होगी, जिस तारीख से कान्ट्रैक्ट होल्डर ने उस वस्तु को अन्य किसी कस्टमर को कम कीमत पर बेची है। कान्ट्रैक्ट होल्डर अनुमोदित दर से ज्यादा दर पर भुगतान के लिये किसी हालत में अधिकारी नहीं होगा।

62. सप्लायर (अनुमोदित ठेकेदार) अपने प्रत्येक बिल पर यह प्रमाण-पत्र अंकित करेगा कि उन्होंने किसी अन्य कस्टमर को वह सामान कम कीमत पर नहीं बेचा है ऐसा प्रमाण-पत्र अंकित न करने पर बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।

63. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो किसी भी पक्षकार (सरकार/ठेकदार) द्वारा राजस्थान में रिथित न्यायालयों में ही की जायेगी अन्यत्र नहीं की जायेगी।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पद
निविदादाता के हस्ताक्षर

खाद्य सामग्री सप्लाई की निविदा की। उपरोक्त सभी शर्तों क्र. 1 से 63 तक को मैंने पूर्णया पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त सभी शर्तें मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं इसके प्रमाण स्वरूप मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

【देखिए नियम 48 (vii)】

मैं/हम/घोषण करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/सामानों/उपकरणों के निए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समर्पित किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा। हम यह सहमति सहर्ष प्रदान करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम :

पूर्ण डाक पता :

फोन नं. :

मोबाइल नं. :

परिशिष्ट—ग
निविदा फार्म दिनांक _____

चिकित्सालयों का नाम :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

चिकित्सालय के कार्यालय द्वारा पूर्ति हेतु				निविदादाता द्वारा पूर्ति हेतु			
क्र.सं.	वस्तुओं का नाम	वस्तुओं का विस्तृत विवरण	चिकित्सालयों की वार्षित खपत	दर प्र.कि./प्रति लीटर/प्रति दर्जन	राशि अंकों में	राशि शब्दों में	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भाग—क (खाद्य सामग्री)							
1(क)	देशी गेहूं का आटा (छना हुआ)						
(ख)	दलिया (गेहूँ)						
2.	चावल सैला, कमोड / बासमति						
3.	दाल (क) मूंग छिलका सहित (ख) मसूर						
	(ग) अरहर						
	(घ) चना						
	(ड.) उडद इत्यादि						
	(च) चीनी						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भाग - ख - (खाद्य सामग्री)							
1.	मसाले						
	(क) लाल मिरची पिसी हुई						
	(ख) हल्दी पिसी हुई						
	(ग) धनिया पिसा हुआ						
	(घ) नमक पिसा हुआ						
2.	जीरा						
3.	मूँगफली का तेल						
भाग - ग - (साग तरकारी)							
	जुलाई से अक्टूबर						
1.	भिषडी						
2.	तोरई						
3.	टिण्डा						
4.	ग्वारफली						
5.	सेमफली						
6.	नींबू						
7.	घीया						
8.	आलू						
	नवम्बर से फरवरी						
1.	मटर						
2.	हरी मेथी						
3.	पालक						
4.	चंदलाई						
5.	मूली						
6.	गाजर						
7.	अदरक						
8.	शलजम						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	निंबू						
10.	गोभी						
11.	हरा धनिया						
12.	आलू						
13.	करमकल्ला / पत्ता गोभी						
	मार्च से जून						
1.	तरँकाकड़ी						
2.	हरि प्याज						
3.	पोदीना						
4.	घीया						
5.	लाल टमाटर						
6.	आलू						
7.	नींबू						
8.	पालक						
9.	बैंगन						
10.	प्याज						
भाग – घ							
1.	वनस्पति घी						
2.	वनस्पति तेल						

नोट :-

1. ठेकेदार को गेहूं क्रय करके पिसाकर छानकर आटा सप्लाई करना होगा।
2. दर प्रस्तुत करते समय आठे का नमूना प्रस्तुत करना होगा। गेहूं सफेद या लाल दर प्रस्तुत करते समय स्पष्ट लिखा जावें।
3. गेहूं की दर में आकस्मिक व्यय जैसे पिसाई, पहुंचाई, छनाई, मजदूरी व अन्य व्यय सम्मिलित होंगे।
4. सभी दरे समस्त करो एवं सभी प्रकार के खर्चों सहित FOR होगी। उक्त दरों के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

दिनांक :

टेण्डर देने वाले के हस्ताक्षर व पता

नाम :

पूर्ण डाक पता :

फोन व मोबाइल नं.

Desktop/HOSHIYAR SINGH/Diet Tender